केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सी० जी०एच०एस०) के औषधालयों में अनियमितताओं के संबंध में रिपोर्ट

227. **श्री अनन्तराम जायसवाल :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय के सतर्कता विभाग ने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सी०जी०एच० एस०) के अंतर्गत दवाइयों की खरीद के समय साधारण वित्तीय नियमों का पालन न करने के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार की है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सी० जी०एच०एस०) ने सरकारी दवाइयों की खरीद के लिए मैडिकल स्टोर संगठन (एम०एस०ओ०) के गठन नजरअन्दाज करते हुए दवाओं के लिए निविदाएं आमंत्रित किए बिना ही सुपर बाजार तथा गैर-सरकारी दवा-विक्रेताओं से अधिक मूल्य पर दवाइयां खरीदी हैं ;

(ग) गत तीन वर्षों मे केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सी.जी.एच. एस.) द्वारा सुपर बाजार और गैर-सरकारी दवा-विक्रेताओं से खरीदी गई दवाइयां मेडिकल स्टोर संगठन (एम. एस. ओ.) की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक मूल्य पर खरीदी गई तथा इसके कारण सरकार को उक्त अवधि में कितने अधिक मूल्य का भुगतान करना पड़ा;

(घ) इन अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के नाम क्या हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(ङ) क्या सरकार ने इस प्रकार की अनियमितताओं को पूर्णतः रोकथाम के लिए कोई निर्णय लिया है ; और

(च) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) केवल चिकित्सा सामग्री भंडार संगठन से औषधों के अनुपलब्ध होने के मामलों में सुपर बाजार और प्राइवेट केमिस्टों से खरीद की जाती है। औषधालयों में अनुपलब्ध औषधों की खरीद के लिए केवल लाभार्थियों को अपनी-अपनी पर्चियों पर स्थानीय प्राइवेट अनुमोदित केमिस्टों से प्राधिकृत किया जाता है ताकि रोगियों को कोई कठिनाई न हो। एक तरफ चिकित्सा सामग्री भंडार संगठन से प्राप्त की गई औषधों और दूसरी तरफ सुपर बाजार/ प्राइवेट केमिस्टों से खरीदी गई औषधों की कीमतें अत्यधिक रूप में तुलनीय नहीं है। सुपर बाजार से औषधों की खरीद उसके साथ किए गए एक समझौते के अनुसार की जाती है जिसके अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि औषधों के व्यापारिक मूल्य के अलावा हैंडलिंग प्रभारों सहित सुपर बाजार 6 से 10 प्रतिशत का आंशिक प्रभार वसूल करेगा. और प्राइवेट केमिस्ट को भुगतान की गई कीमत संबंधित औषध के अधिकतम थोक मूल्य तथा 4.5 प्रतिशत के सेवा प्रभार का भुगतान करने की शर्त पर है। दूसरी तरफ चिकित्सा सामग्री भंडार संगठन अपनी औषधों की खरीद निविदाओं के आधार पर करता है। दूसरे, एक तरफ सुपर बाजार/प्राइवेट केमिस्टों से खरीदी गई औषधों और दूसरी तरफ चिकित्सा सामग्री भंडार संगठन द्वारा खरीदी गई औषधों की मात्राएं इस तरह से भिन्न-भिन्न होती है कि उनकी कीमतों की कोई भी तुलना करना सही नहीं होगा क्योंकि यह मात्रा कीमत के आधार पर होती है।

(घ) से (च) ये प्रश्न नहीं उठते।

Development of New Fifth Medical Science Electropathy/Electro-Homoecopathy

228. SHRI JAGANNATH SINGH: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the new 'Fifth Medical